कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1267 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 12 ,सितम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, (नाम से)
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी।

विषय :– मैनपुरी में शिकोहाबाद–भौगॉव मार्ग (एस0एच0–84) कि0मी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 कि0मी0 कुल 25.66 कि0मी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक 495/14–1 दिनांक 24.08.2017 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन 65/14–1 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय का प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्ताव को प्रेषित करते समय भारत सरकार के प्राप्त दिशा निर्देश जो सन्दर्भित पत्र से संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं, के अनुसार आपके कार्यालय द्वारा भली भॉति परीक्षण नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव में सूचनाएं/अभिलेख अपूर्ण एवं सुसंगत नहीं, जो निम्नवत् है :–

1– संयुक्त निरीक्षण पत्रों पर संयुक्त निरीक्षण करने वाले अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर कर तिथि अंकित नही की गई है।

2– वनीकरण प्राक्कलनों में आगामी वर्षों हेतु अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।

3– अधिकांश अभिलेखों पर प्रयोक्ता विभाग के सक्षम अधिकारी तथा प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर का दिनांक अंकित नहीं की गई है।

4– स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रभागीय निदेशक का नाम अंकित नहीं है।

5– प्रस्ताव में प्रत्येक मार्ग के बाधक वृक्षों के गणना के मुख्य पृष्ठ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है। (पृष्ठ सं0–22, 25, 27, 30, 34, 36, 45)।

6– प्रस्ताव में प्रत्येक मार्ग के बाधक वृक्षों के गणना के सभी पृष्ठों प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। नाम, मोहर, हस्ताक्षर दिनांक हस्ताक्षर करनें की कार्यवाही करें।

7– मार्गवार गणना के आधार पर बाधक वृक्षों का सांराश भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट–2 के बिन्दु संख्या–III के अनुसार तैयार कर संलग्न करें।

8– प्रस्ताव में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का गजट संलग्न है, परन्तु प्रस्तावित मार्ग, नहर के गजट को रंगीन पेन से नहीं दर्शाया गया है।

9– प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल का R.O.W संलग्न है। R.O.W के अनुसार प्रस्तावित कार्य के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष भूमि का दर्शाया गया है, परन्तु जगह की उपलब्धता के अनुसार विस्तृत विवरण तालिका स्वरूप में नहीं है अर्थात कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कुल कितनी भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध होगी।

10– उपरोक्त तालिका से वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का वृक्षारोपण प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित संलग्न करें।

11– प्रस्ताव के लाभ लागत विश्लेषण संलग्न है, परन्तु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश, जो इस कार्यालय के पत्रांक ..1172../14–1 दिनांक 05.09.2017 द्वारा प्रेषित किए गए हैं, के अनुसार नहीं है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संशोधित लाभ लागत विश्लेषण संलग्न करें।

12– उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित एवं तद्नुसार विषय सूची को ठीक करने का कष्ट करें।

अतः उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के प्राप्त दिशा निर्देश, जो सन्दर्भित पृष्ठांकन से संलग्न कर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किए गए हैं, को संज्ञान में लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव ऑनलाइन/आफलाइन तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु मूल सहित 04 पत्रावली संलग्न कर वापस की जाती है।

संलग्नक :– यथोपरि।

Received four set file
12/09/17

भवदीय,

12/9/17

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1267 / 2–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वॉछित आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को 04 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12/9/17

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

o/c